

संख्या-पी-208/81-2-2021-800(151)/2021

प्रेषक,

आर० पी० सिंह,

अनु सचिव,

उ० प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी

उ० प्र०, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 27 सितम्बर 2021
विषय-जनपद-सोनभद्र में पी० एम० जी० एस० वाई० खण्ड, लो० नि० वि० द्वारा पटवध से बसुहारी सम्पर्क मार्ग (चैनेज सं० - 0.000 से 61.500 तक) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 34.6725 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 1114 वृक्षों/पौधों के पातन एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर में प्रभावित 10.62 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 194 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात् कुल प्रभावित 45.2925 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 1308 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-733/11-सी/एफपी/यूपी/रोड/59458/2020 दिनांक 02.09.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रकरण में 10.62 हे० आरक्षित वनभूमि एवं 194 वृक्षों/पौधों का पातन सेन्चुरी क्षेत्र से आच्छादित है, जिसकी अनापति के सम्बन्ध में कोई उल्लेख प्रस्ताव में नहीं किया गया है। कृपया सेन्चुरी क्षेत्र से आक्षादित क्षेत्र की अनापति प्रमाण-पत्र/प्रगति के साथ आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by राम प्रकाश सिंह

Date: 27-09-2021 18:09:31

Reason: Approved

अनु सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से भी प्रश्नगत प्रकरण के कार्यवाही की प्रगति से पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 का अवगत कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(आर० पी० सिंह)

अनु सचिव